

10.6.24

पत्रावली पेश करी उक्त वकील पक्षधार अधिका
पत्रावली वाली वकील पक्षधार पालका रिपोर्ट
तक शीघ्रता दि. 24.6.24 को पेश होवे।

SDO

24.06.2024

Note
press

13

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी ने न्यायालय द्वारा अब
तक की उर्द कार्रवाही से संतुष्ट होना
जाहिर किया तथा आगे कार्रवाही नहीं
पाहते हुए नोट-प्रेस करने का निवेदन
किया। वकील वादी ने वादी की ओर से
प्रकरण विद्रो करने बाबत प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत किया। वकील वादी द्वारा प्रकरण
नोट-प्रेस करने तथा विद्रो का प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत करने से के आधार पर पत्रावली
प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली
कैसल शंमार होकर वास्तविक दफ्तर होवे।



उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा